न्यायालयः अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट , मोहम्मदी खीरी।

CNR No.–UPLP 1200 2176 2025

दया शंकर

बनाम

महेश आदि।

परिवाद सं०–893/2025
थाना–उचौलिया, जिला–खीरी।

दिनांकः 03.06.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार लगायी गयी। परिवादी गैर हाजिर है। परिवादी के साक्ष्य 223 बी०एन०एस०एस० का अवसर समाप्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश लंच बाद पुनः पेश हो।

(रजत प्रकाश सोन)
अपर सिविल जज (जू०डि०) /न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी–खीरी।

दिनांकः 03.06.2026

पत्रावली लंच बाद पुनः पेश हुई। बार–बार पुकार लगायी गयी। परिवादी गैर हाजिर। पत्रावली का सम्पूर्ण अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 26.09.2025 को परिवादी का साक्ष्य धारा–223 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत अंकित किये जाने के पश्चात् पत्रावली शेष गवाहान के साक्ष्य अन्तर्गत धारा–223 बी०एन०एस०एस० हेतु दिनांक 14.10.2025 से नियत है। परिवादी द्वारा दिनांक 14.10.2025 से आज तक अन्य कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवादी दिनांक 14.10.2025 को न्यायालय में गैर हाजिर था और आज भी उपस्थित नहीं है। परिवादी की ओर से कोई भी स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी अपने वाद में रुचि नहीं ले रहा है। विपक्षीगण को तलब किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य सामग्री पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अतः परिवादी का परिवाद साक्ष्य के अभाव में अन्तर्गत धारा 226 बी०एन०एस०एस० में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद पत्र साक्ष्य के अभाव में अन्तर्गत धारा 226 बी०एन०एस०एस० में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(रजत प्रकाश सोन)
अपर सिविल जज (जू०डि०) /न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी–खीरी।